राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान मालासी

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 129 / 2025

निर्णय दिनांक : 08.07.2025

दायर दिनांक – 08.07.2025

GCMS 2025/241

1. शनुदेवी पत्नी हुणताराम जाति जाट निवासी तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ....प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा स्थान मालासी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 144 के खसरा संख्या 409 / 64 तादादी 5.6902 है0 प्रार्थिनी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिनी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में शनुदेवी दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थिनी का सही नाम सजना देवी है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड व राशन कार्ड आदि में प्रार्थिनी का सही नाम सजना देवी ही अंकित है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीनी का सही नाम सजना देवी अंकित है जबकि जमाबन्दी में शनुदेवी अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शनुदेवी की बजाय सजना देवी दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थिनी का नाम सजना देवी अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही तोलियासर तहसील सुजानगढ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 144 के खसरा संख्या 409/64 तादादी 5.6902 है0 में दर्ज खातेदार का नाम शनुदेवी के स्थान पर सजना देवी दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मालासी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ